न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
28/2021	प्रा.पत्र 251-A RTA	24.08.2021	26.06.2025

हरलाल पुत्र श्री श्योजीराम जाति जाट निवासी ग्राम दान्दू तहसील व जिला चूरू (राज.)
—प्रार्थीया—

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्यामलाल जाति ब्राह्मण निवासी दान्दू तहसील व जिला चूरू पूजारी मंदिर श्री ठाकुरजी, ग्राम दान्दू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र बुडानिया प्रार्थी
2. पैरोकार राज

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से नीचे लिखे अनुसार प्रार्थना पत्र पेश

1. यह कि प्रार्थी का खेत खाता संख्या नया 222 व खता संख्या पुराना 17 खसरा नम्बर 548/241 तादादी 2.0160 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 549/241 तादादी 0.0200 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता कुल किता 2.0360 हैक्टेयर रोही मौजा ग्राम दान्दू तहसील व जिला चूरू में स्थित है। जिसका एकमात्र मालिक व स्वामि प्रार्थी है।
2. यह कि प्रार्थी के खेत में जाने के लिए ग्राम गांगियासर से दान्दू जाने वाली सड़क से आना पड़ता है। उक्त सड़क व प्रार्थी के खेत के मध्य अप्रार्थी का खेत पड़ता है, जिसमें से कटानी रास्ता नहीं जाता, जिस पर अप्रार्थी पुजारी बार—बार अप्रार्थी को वहां से आने जाने से रोकता है व कई बार रास्ते के आगे लाठी लेकर खड़ा हो जाता है व मरने मारने पर उतारू हो जाता है।
3. यह दिनांक 02.08.2021 को अप्रार्थी 1 ने उक्त रास्ते को कंटीले तार लगाकर रोक दिया तथा हटाने का कहने पर स्पष्ट इन्कार कर दिया
4. अप्रार्थी को बार—बार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाने को कहा तथा कहलवाया पहले टाल—मटोल करता रहा तथा दिनांक 10.08.2021 को साफ इन्कार कर दिया इस कारण दिनांक 10.08.2021 को वाद हेतुक प्राप्त हुआ।
5. प्राथना—पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है।

अतः प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किया जावे।
(क) खेत खसरा नम्बर 242 रोही मौजा दान्दू में रास्ता कायम किया जावे तथा तहसीलदार महोदय को आदेशित किया कि तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे तथा राजस्व नक्शा में रास्ता तरमीम किया जावे।

प्रार्थना—पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता गोपीराम सिहाग ने वकालतनामा प[illegible] तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई जिसके अनुसार जिस खसरा नम्बर 24[illegible] से रास्ता चाहा गया है, वह भूमि मंदिर श्री ठाकुरजी की भूमि है। उक्त ख[illegible] [illegible]गादत है जिसेन रास्ता देने से असहमति प्रकट की। खेत खसरा नम्बर 242 रोही मौजा दान्दू के राजस्व[illegible] के अनुसार कटाणी रास्ता 242 खसरा नंबर के चिपता नहीं [illegible] खेत खसरा नम्बर 54[illegible] में आवागमन हेतु मौके के अनुसार ग्राम दान्दू से गांगियासर पर मौजूद खसरा नम्बर 243 से दिया जाना सुलभ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:07 IST
Reason: SelfAttested

होगा। अप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब बंद किया जाकर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी हरलाल पुत्र श्री श्योजीराम, निवासी ग्राम दान्दू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया गया कि उसके स्वामित्व वाले खेत, खसरा संख्या 548/241 व 549/241, मौजा दान्दू तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 242 (मंदिर श्री ठाकुरजी की भूमि) से होकर रास्ता निर्धारित किया जाए।

मामले में प्राप्त राजस्व जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि:

वांछित रास्ता खसरा संख्या 242 से होकर प्रस्तावित किया गया है, जो कि मंदिर श्री ठाकुरजी की धार्मिक संपत्ति है। उक्त भूमि पर काश्तकार द्वारा रास्ता देने से साफ असहमति प्रकट की गई है।

राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 242 से होकर कोई भी सार्वजनिक अथवा कटानी रास्ता दर्ज नहीं है। मौके पर खसरा संख्या 243 से होकर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, जो आवागमन हेतु व्यावहारिक और सुलभ है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय यह पाता है कि:

मंदिर की भूमि (खसरा संख्या 242) से होकर जबरन रास्ता निर्धारित करना न केवल अवैध होगा बल्कि देवस्थान विभाग की संपत्ति में अनधिकृत हस्तक्षेप भी होगा, जो विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थना पत्र में जिस भूमि से रास्ता मांगा गया है, उसमें मार्ग देना संभव नहीं है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रार्थना पत्र अस्वीकृत / खारिज किया जाता है। प्रार्थी को स्वतंत्र है कि वह किसी अन्य व्यावहारिक वैकल्पिक भूमि से रास्ता प्राप्त करने हेतु पृथक रूप से नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:07 IST
Reason: SelfAttested